महत्वपूर्ण

संख्या- 4975/नौ-5-2022-63सा/2025

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
2- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0,उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, ~~2022~~ 2025

विषयः- नगर विकास विभाग द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया राज्य सेक्टर की सीवरेज एवं जल निकासी योजना, पेयजल हेतु व्यवस्था योजना एवं नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के क्रियान्वयन विषयक क्रमशः शासनादेश संख्या-3355/नौ-5-2025-63सा/2025, दिनांक 10.06.2025, शासनादेश संख्या-3356/नौ-5-2025-63सा/2025, दिनांक 10.06.2025, एवं शासनादेश संख्या-3357/नौ-5-2025-63सा/2025, दिनांक 10.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश में परियोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में अवगत कराया जाना है कि उक्त योजनान्तर्गत शासन में उपलब्ध कराये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत निविदा लागत आदि का स्पष्ट विवरण न होने के कारण कतिपय परियोजनाओं की आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने में विलम्ब हो रहा है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य सेक्टर की सीवरेज एवं जल निकासी योजना, पेयजल हेतु व्यवस्था योजना एवं नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निम्नलिखित प्रारूप पर शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

क्रमांक	मद	सूचना/आख्या
1	परियोजना का नाम	
2	कार्यदायी संस्था का नाम	
3	मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	
4	परियोजना हेतु स्वीकृत निविदा (टेण्डर) की धनराशि	
5	कुल अवमुक्त धनराशि	
6	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि	
7	कार्य की भौतिक प्रगति का प्रतिशत	
8	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	
9	कार्य की स्थलीय अद्यतन जियोटैग फोटोग्राफ्स	
10	कार्य की गुणवत्ता प्रमाण-पत्र/निरीक्षण आख्या	
11	परियोजना हेतु अवमुक्त की जाने वाले अवशेष धनराशि **(निविदा की धनराशि - अब तक कुल अवमुक्त धनराशि = अवशेष धनराशि)**	

Akhileshwar Singh G.O.-2025-K.K.R.

(1) उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्व, निर्माण कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समस्त कार्यों का गुणवत्तापरक रंगीन स्पष्ट जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उक्त जियोटैग फोटोग्राफ में परियोजना से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी/संबंधित अभियन्ता/परियोजना प्रबंधक का संयुक्त रूप से निर्माण कार्य के बैकग्राण्उड में फोटोग्राफ होना अनिवार्य है। उक्त फोटोग्राफ पर सभी संबंधितों का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए।

4- अतएव उक्त के आलोक में ही उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो की आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पटेल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव :-</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।

आज्ञा से,
07.08.2025

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Akhileshwar Singh G.O.-2025-K.K.R.